कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा सूचना संख्या–एफ–4 ( )/सा.प्र./निविदा/कोविको/2016/8410 दिनांकः 01/12/16

निविदा प्रपत्र

(निविदाकार द्वारा भरकर लिफाफे में सीलबंद कर रखने हेतु)

1.	**कार्य का नाम**	:	**केन्टीन संचालन के कार्य हेतु**
	निविदा कार्य की अवधि	:	एक वर्ष
	निविदा शुल्क	:	रू. 400/–
	कार्य की अनुमानित वार्षिक लागत	:	रू. 5.00 लाख (अक्षरे रू. पांच लाख मात्र)
	धरोहर राशि	:	रू. 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)
	निविदा विक्रय की तिथि	:	दिनांकः 02/12/16 दोपहर 12.00 बजे से 09/12/16 दोपहर 12.00 बजे
	निविदा जमा करने की तिथि	:	दिनांकः 09/12/16 समय दोपहर 2.00 बजे तक
	निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांकः 09/12/16 समय सायं 3.00 बजे

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
   एवं पता ....
   दूरभाष नम्बर ....

3. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांकः .... संलग्न किया जा रहा है।

4. धरोहर राशि रू. .... का बैंक ड्राफ्ट/बेंकर्स चैक संख्या .... दिनांकः................. संलग्न किया जा रहा हैं।

5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 07 (सात) दिवस की अवधि के भीतर कार्यादेश में वर्णित दरों एवं शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

6. उद्धत की गयी दरें अनुमोदित होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

7. केन्टीन की वार्षिक दरे अनुमोदित होने पर 03 दिवस में संवेदक को राशि रू. 1250/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा तथा बतौर सुरक्षा राशि रू. 50000/– (अक्षरे रू. पचास हजार मात्र) धरोहर राशि को समायोजित करते हुए विश्वविद्यालय में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता नाम एवं पूरा पता मय सील

8. निम्न वर्णित केन्टीन सम्बन्धी कार्य/सामानो की आपूर्ति हेतु संवेदक द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की जावे :–

क्र.स.	पेय/खाद्य पदार्थ का विवरण	मात्रा	संवेदक द्वारा प्रस्तावित चार्जेज/दरें (समस्त कर सहित)
1	चाय प्रति कप	100 एम.एल.	
2	कॉफी प्रति कप	100 एम.एल.	
3	डेयरी द्वारा निर्मित दुग्ध उत्पाद/डेयरी उत्पाद		
4	पेय पदार्थ फ्रूट ज्यूस(संतरा/सेब/अनार/पाईनेप्पल/पपीता आदि) नारियल पानी नींबू की शिकंजी		
5	इडली सांभर सांभर बड़ा उत्तपम थेपला ऊंदीया खमण पातरा डोसा		
6	दलिया खिचड़ी नमकीन पुलाव साबुदाना खिचड़ी		
7	बिस्कुट मीठा/नमकीन प्रति पैकेट पारले ब्रिटानिया एमप्रो गुड–डे अन्य ब्राण्डेड कम्पनी के		
8	**अ. स्पेशल डीलक्स थाली (पैकिंग सहित)** वेजीटेबल (पनीर, सीजनल), दाल (मूंग, चना, उड़द, तुवर, मिक्स) रायता पुलाव तवा चपाती 5 नग पापड़ रसगुल्ला बड़ा (अचार, सलाद, पेपर नेपकीन, डि. चम्मच) **ब. स्पेशल डीलक्स थाली (पैकिंग रहित)** वेजीटेबल (पनीर, सीजनल), दाल (मूंग, चना, उड़द, तुवर, मिक्स) रायता पुलाव तवा चपाती 5 नग पापड़ छेने की मिठाई (अचार, सलाद, पेपर नेपकीन, डि. चम्मच)		

हस्ताक्षर निविदादाता नाम एवं पूरा पता मय सील

9	**अ. राजस्थानी थाली (पैकिंग सहित)** कत्त 2 नग (पंचदारी) बाफला 2 नग मसाला बाटी 1 नग दाल (उड़द, मूंग) कढ़ी गट्‌टे की सब्जी पुलाव लहसून–प्याज हरी चटनी, नींबू , पापड़ (पेपर नेपकीन, डि. चम्मच) **ब. राजस्थानी थाली (पैकिंग रहित)** कत्त 2 नग (पंचदारी) बाफला 2 नग मसाला बाटी 1 नग दाल (उड़द, मूंग) कढ़ी गट्‌टे की सब्जी पुलाव लहसून–प्याज हरी चटनी, नींबू , पापड़ (पेपर नेपकीन, डि. चम्मच)		
10	**अ. मिनी थाली (पैकिंग सहित)** वेजीटेबल 1 दाल पुलाव तवा चपाती 4 नग रायता अचार, सलाद, पापड़ **ब. मिनी थाली (पैकिंग रहित)** वेजीटेबल 1 दाल पुलाव तवा चपाती 4 नग रायता अचार, सलाद, पापड़		

हस्ताक्षर निविदादाता नाम एवं पूरा पता मय सील

11	**अ. साधारण थाली (पैकिंग सहित)** तवा चपाती 5 नग दाल / राजमा / काले चने सीजनेबल सब्जी पुलाव, सलाद **ब. साधारण थाली (पैकिंग रहित)** तवा चपाती 5 नग दाल / राजमा / काले चने सीजनेबल सब्जी पुलाव, सलाद		
12	नाश्ता मीनू (प्रति आईटम) खमण, वेजीटेबल कटलेट उत्तपम सांभर बड़ा, कॉफी, चाय मिनरल वाटर, केटरिग पेपर नेपकिन सहित		
13	तवा चपाती प्रति नग (With Butter, Standard Size) तवा चपाती प्रति नग (Without Butter, Standard Size)		
14	दाल प्रति प्लेट (150 ग्राम) काले चने प्रति प्लेट (150 ग्राम) राजमा प्रति प्लेट (150 ग्राम)		
15	सीजनल सब्जी विद पनीर प्रति प्लेट(150 ग्राम) सीजनल सब्जी विदाउट पनीर प्रति प्लेट(150 ग्राम)		
16	शुद्ध पीने योग्य मिनरल वाटर – 1. 100 एम.एल. (पोली पेक) 2. 200 एम.एल. (पोली पेक) 3. 500 एम.एल. (पोली पेक) 4. 200 एम.एल. (पैक्ड बोतल) 5. 500 एम.एल. (पैक्ड बोतल) 6. 10 ली. (केम्पर) 7. 15 ली. (केम्पर) 8. 18 ली. (केम्पर) 9. 20 ली. (केम्पर)		

नोटः–

1. पेकड् आईटम की दरें एम.आर.पी. से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।
2. केन्टीन भवन की न्यूनतम किराया राशि (बिजली का वास्तविक उपयोग अतिरिक्त) @ 2500/- (अक्षरे रू. दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह निर्धारित है। जो प्रतिमाह सात तारीख तक संपदा अधिकारी के माध्यम से लेखा शाखा में जमा कराना होगा।
3. उक्त निर्धारित पेय / खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त किसी सामान की आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा पूर्व में सूचना देने पर तदनुसार केन्टीन ठेकेदार को प्रचलित बाजार दरों पर खाद्य पदार्थों / सामग्री की व्यवस्था करनी होगी।
4. सेम्पल–कमेटी बोलादाताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री की दरों के समक्ष सेम्पल का निरीक्षण कर सकेगी।
5. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निबन्धन एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गयी है एवं मैं संलग्न सभी शर्तो से सहमत हूं।
6. साधारण जल व्यवस्था निःशुल्क प्रदान करनी होगी।
7. जंक फूड / फास्ट फूड का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

दिनांक **हस्ताक्षर निविदादाता नाम एवं पूरा पता मय सील**

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

–: विश्वविद्यालय केन्टीन ठेका शर्ते :–

1. निविदादाता नियमानुसार अर्थात् राजस्थान खाद्य पदार्थ मिलावट रोक नियम 1954 के अन्तर्गत तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाइसेन्सधारी होना चाहिए। बिना लाइसेन्स के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदादाता को किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान/विश्वविद्यालय में केन्टीन अथवा रजिस्टर्ड रेस्टोरेन्ट चलाने का एक वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।
3. केन्टीन ठेकेदार को केन्टीन प्रातः 6.00 बजे सांय 10.00 तक खुली रखकर सर्विस देनी होगी, जिसकी व्यवस्था के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के सामानों(चाय, नमकीन, बिस्कुट, खाना आदि) एवं खाद्य सामग्री का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं अपनी ओर से करना होगा। निर्धारित पेय/खाद्य सामग्री के अभाव में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित केन्टीन समिति के निरीक्षण व उसकी सिफारिश के फलस्वरूप प्रस्तावित जुर्माना राशि का निर्धारण किया जाकर देय बिल से वसूल किया जावेगा।
4. ठेकेदार को राजस्थान खाद्य पदार्थ मिलावट रोक नियम 1954 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अल्पाहार गृह में पूर्ण स्वच्छता एवं हमेशा केन्टीन में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व ताजा सामान रखना होगा । यदि बासी या खराब सामान पाया गया तो उस सामान को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिकृत केन्टीन समिति द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा, साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से केन्टीन सफाई आदि की व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की सहायता देय नहीं होगी तथा अल्पाहार गृह में केन्टीन कर्मचारी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा यूनीफार्म में रहेंगे। केन्टीन परिसर एवं उसके आस–पास की जगह की साफ–सफाई एवं केन्टीन से निकलने वाले कचरे(West) का निस्तारण स्वयं ठेकेदार को निर्देशित चिन्हित स्थान पर करवाना होगा।
5. प्रशासनिक भवन के दायीं ओर स्थित केन्टीन भवन का न्यूनतम किराया रू 2500/– प्रतिमाह(अक्षरे रू. दो हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित है।
6. बिजली का उपयोग केवल प्रकाश,पंखे,फ्रीज आदि के लिए किया जावेगा न कि खाना, चाय आदि बनाने के लिए। इसके लिए केन्टीन में बिजली का सबमीटर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जावेगा। बिजली के सबमीटर की वास्तविक यूनिट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर ठेकेदार को भुगतान करना होगा। बिजली से चाय, खाना आदि बनाये जाये पाने पर नियमानुसार रू. 500/– प्रतिदिन शास्ती आरोपित की जावेगी।
7. केन्टीन ठेकेदार को केन्टीन में चाय, नाश्ता, भोजन आदि बनाने के लिए ईंधन की सुविधा हेतु स्वयं का कार्मशियल गैस कनेक्शन रखना होगा। गैस प्रयोग के सभी आवश्यक दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी। यदि किसी असावधानी के कारण दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
8. अल्पाहार गृह के लिए प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त सामानों, फर्नीचर, पंखों, कूलर, आदि के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। किसी भी प्रकार के सामान गुम/टूट–फूट होने की दशा में उसकी कीमत केन्टीन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
9. खाद्य पदार्थो पर किसी प्रकार की सब्सीडी(अनुदान) विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगी।
10. केन्टीन ठेके की अवधि स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की होगी, अर्थात् ठेका केन्टीन चालू करने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
11. नशीले पदार्थ जैसे– बीड़ी, सिगरेट, गुटका, शराब आदि अल्पाहार गृह में रखना या बेचना कानूनी अपराध होगा, नशीले पदार्थ पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता नाम एवं पूरा पता मय सील

12. केन्टीन ठेकेदार द्वारा केन्टीन में सामानों की बिक्री विश्वविद्यालय कर्मचारियों एवं बाहरी व्यक्तियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत दरों पर ही की जावेगी, जिसकी सूची केन्टीन हाल में सूचना पट्ट पर लगानी होगी, स्वीकृत दर से अधिक राशि पर सामान बिक्री करते हुए पाये जाने पर स्वीकृत दर से दुगुनी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
13. केन्टीन ठेकेदार को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशो की पालना करनी होगी ओर यदि वह ऐसा करने में जानबूझकर लापरवाही बरतेगा/उल्लघन करेगा, ठेका शर्तो की पालना नहीं करेगा अथवा किसी भी गुटबाजी/गुटबन्दी को प्रोत्साहित करेगा, तो कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को तुरन्त समाप्त कर सकेगा। साथ ही यदि ठेकेदार कार्य बीच में छोड़कर जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
14. अन्य सुसंगत उपाबंध राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।
15. कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई संशोधित निविदा सूचना संख्या 8410 दिनांकः 01/12/16 के निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी निबन्धन एवं शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

कुलसचिव
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

हस्ताक्षर निविदादाता
पूरा पता जिस पर पत्र
व्यवहार किया जा सके।